

लोकतंत्र सेनानियों ने कठिन परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा की- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में उनके योगदान को संरक्षित करने की घोषणा की

जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष लोकतंत्र रक्षा की ऐतिहासिक गाथा है। उनका त्याग और समर्पण युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेक पीढ़ियों के बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। वहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने राष्ट्रहित के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना कर लोकतंत्र की रक्षा की। इसलिए राष्ट्रवाद की विचारधारा उनकी तपस्या और संघर्ष से विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है।

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि उसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सहज रूप से मिली है, उसके पीछे लोकतंत्र सेनानियों का त्याग छिपा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया।

करना चाहिए। राज्य सरकार भी इनके योगदान को संरक्षित करेगी।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि “लोकतंत्र सेनानी समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्र हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद करें।”

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रहित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की पीढ़ी ने आपातकाल को देखा और सहा, इसलिए वे समाज एवं राष्ट्र को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।

रूस ने पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर पड़े कथित प्रभाव से जुड़ा है। यह मामला यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों को लेकर ओशादबैंक के दावे से जुड़ा है। बैंक का कहना है कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद, रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण उसे ये संपत्तियां और कारोबारी गतिविधियां गंवानी पड़ीं। इस मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होंगे। कोस्टा रिका की मध्यस्थ और पूर्व व्यापार मंत्री इयाला जिमेनेज को रूस और ओशादबैंक ने संयुक्त रूप से चुना है और वे न्यायाधिकरण की अध्यक्ष होंगी। यूनानी मध्यस्थ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) के प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकोलाकिस को ओशादबैंक ने तीसरे सदस्य के रूप में चुना है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को रूस ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का प्रमुख आधार बताया है।

लगातार विपक्षी विरोध, विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग तथा सिविल सोसायटी और चर्च संगठनों की आपत्तियों के बीच केन्द्र ने जेपीसी का रास्ता चुना। इन समूहों को आशंका है कि संपत्तियों को जब्त करने जैसी व्यवस्था

के तहत, पहले से किए गए निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनवाई या न्यायिक निर्णय का प्रावधान नहीं है।

12 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को जेपीसी को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे हंगामे के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूर कर लिया। 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। समिति को

‘घर-घर जाके कूड़ा उठाने की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसलिए किए गए, ताकि याचिकाकर्ता को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जून 2026 में जारी किए गए टेंडर में शर्तों में फेर बदल इसलिए किया गया, ताकि याचिकाकर्ता निविदा में भाग न ले सके।

दूसरी और नगर निगम की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला अपरिक्व है, क्योंकि तीसरी निविदा के संदर्भ में नगर निगम ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। उल्लेखनीय है कि तीसरी निविदा में जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है, उसे भी टेंडर देने में नगर निगम को तीन वर्ष में 54.5 करोड़ की लागत उठानी पड़ेगी। जबकि याचिकाकर्ता की 2024 में एक वर्ष के लिए जो अनुबंध

किया गया था उसके अनुसार नगर निगम को 12.8 करोड़ की लागत आई थी। और इन आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम को 39 करोड़ की लागत उठानी पड़ती, अगर उक्त टेंडर याचिकाकर्ता को तीन साल के लिए दिया जाता तो। सभी तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा दो बार बिना वजह टेंडर रद्द किये जाने से याचिकाकर्ता आहत हुआ है, क्योंकि निविदाओं में पब्लिक फंड का उपयोग होता है, इसलिए अधिकारी मनमाने तरीके से रद्द नहीं कर सकते। उन्हें टेंडर रद्द करने का स्पष्ट कारण देना आवश्यक होता है। अदालत ने कहा कि जिस तरह से निविदा की शर्तों में फेर बदल किया गया है उससे जाहिर है कि याचिकाकर्ता को निविदा में भाग लेने से वंचित करना और किसी और को अवांछित लाभ पहुंचाना ही इसका उद्देश्य

था। अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा मार्च 2026 में जारी दूसरी निविदा को ही पूर्ण किया जाए और जून में आमंत्रित तीसरी निविदा के नोटिस को रद्द किया है।

टाटा संस के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, “मैंने बोर्ड से जल्द उत्तराधिकारी तय करने को कहा है, ताकि नेतृत्व का उचित और सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।” टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच बोर्ड में प्रतिनिधित्व, समूह की रणनीति और माइनॉरिटी शेयर होल्डर शापूरीजी पालोनजी के प्रस्तावित एग्रीजेंट को लेकर मतभेद चल रहे हैं। टाटा संस टाटा समूह की मुख्य निवेश होल्डिंग कंपनी है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के पास कंपनी की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह मामला कुछ हद तक घुमावदार तर्क पर आधारित था। अमेरिकी शिकायत में कहा गया था कि अडानी ने अपने शेयरधारकों और निवेशकों को रिश्वत के भुगतान की जानकारी नहीं देकर उन्हें गुमराह किया। इस तरह यह सिक्यूरिटीज फ्रॉड और निवेशकों को धोखा देने की मंशा का मामला बनता था। दूसरी ओर, उन्होंने यह भी माना कि कंपनी ने यह आश्वासन दिया था कि वह रिश्वतखोरी में शामिल नहीं है।

तथापि, कुछ अधिकारियों का तर्क था कि रिश्वत के भुगतान का मुख्य मुद्दा, भले ही वह सच हो, अमेरिकी कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और पूरी तरह भारतीय कानून के अधिकार क्षेत्र में आता था। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि यह एक विदेशी मामला था

और जांच में पता चला कि ऐसी कोई रकम हस्तांतरित नहीं की गई थी, जिस पर अमेरिका में कानूनी कार्रवाई की जा सके। न ही प्रतिभूतियों में कोई नुकसान हुआ था। न्याय विभाग का कहना था कि यह मामला असल में “नाम खराब करने और शर्मिंदा करने” की कोशिश थी, और इसका मकसद कभी भी गंभीरता से मुकदमा चलाना नहीं था। यह भारतीय कॉरपोरेट जगत की कुछ बड़ी कंपनियों को बदनाम करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा भी हो सकता है।

अडानी ग्रुप देश के सबसे कामयाब कॉरपोरेट घरानों में से एक है और कई देशों में उसका कारोबार फैला हुआ है। अडानी समूह के पास ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी कोयला खदान है, वह कई देशों में बंदरगाहों का संचालन करता है और अमेरिकी बाजार में भी बड़े

निवेश की योजना बना रहा है। गौतम अडानी को व्यक्तिगत रूप से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है और उनकी संपत्ति का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में मुकदमा चलने के बावजूद, हाल के दिनों में अडानी समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। फ़ैडरल कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया।

टेक इट और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमित शाह का कहना है कि “टेक इट और लीव इट।”

राहुल का जवाब है कि “वी हैव लैफ्ट इट।” गतिरोध जारी है।

हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी सहित, अन्य विपक्षी दल अब भी विधेयक को पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग पर कायम है। के.सी. वेणुगोपाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का आरोप है कि यह विधेयक गैर-सरकारी संगठनों

(एनजीओ) और अल्पसंख्यक संस्थानों, विशेष रूप से ईसाई संगठनों, को असमान रूप से निशाना बनाता है और वास्तविक नियामक ज़रूरतों के बजाय, व्यापक राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है।

कुछ विपक्षी नेताओं ने यह कहते हुए जेपीसी को भी खारिज किया है कि ऐसी समितियों में सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व होने के कारण विपक्ष का प्रभाव सीमित रह सकता है।

इससे पहले, चर्च के प्रतिनिधि मंडलों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विधेयक को वापस लेने या इसकी विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने धर्मार्थ, शैक्षणिक, चिकित्सा और धार्मिक संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखा था।

जेपीसी का रास्ता अपनाकर सरकार को अब विचार-विमर्श, हितधारकों की सुनवाई और विधेयक में संभावित संशोधनों के लिए समय मिल गया है। साथ ही, इससे मानसून सत्र के अंत में सदन के पटल पर तत्काल टकराव की स्थिति से भी बचा जा सका है।

ऑटो -टैक्सी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मराठी भाषा की जानकारी नहीं होने पर डाइविंग अनुमति को तीन महीने तक निलंबित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने पर अनुमति या लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

TRUE VALUE

इस स्वतंत्रता दिवस कार लेना हुआ आसान। सिर्फ ₹59 प्रतिदिन* की आसान किश्तों में।

CELEBRATING 60Lakh+ STORIES OF TRUST

Download on the App Store

Google play

True Value ऐप यहाँ डाउनलोड करें।

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

KOTA: PLOT NO 2- 3, NEAR NEW BUS STAND, SANJAY NAGAR, KOTA, BHATIA & CO.: 7300199999 | A 172(B-1), IPIA JHALAWAR ROAD, ANANTPURA, SUWALKA MOTORS PVT. LTD.: 9929720837.

*नियम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। **वेरिफाइड कार हिस्ट्री और वारंटी केवल ट्रू वैल्यू प्रमाणित कारों पर लागू हैं। निशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। दर्शाई गई छवियाँ केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य के लिए हैं। *अचर राशि ₹1 00 000 मानी गई है। *अचर की अवधि 84 महीने @ROI 11% वार्षिक व्याज दर पर ली गई है। *खान पमेंट कार के मूल्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। *खान पर काला शीसा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। *फाइनेंस पूरी तरह बैंक या वित्तीय संस्था की मंजूरी पर निर्भर है और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार बदल सकता है।

क्वालिटी

✓ 376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

✓ 1 साल तक की वारंटी**

ट्रस्ट

✓ वेरिफाइड कार हिस्ट्री**

✓ 3 फ्री सर्विसेज** 5000++ से अधिक मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशनों पर उपलब्ध

TRUE VALUE CERTIFIED

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा बतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्र भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●